समाहरणालय, सरायकेला–खरसावाँ

कार्यालय, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, सरायकेला–खरसावाँ

अति–अल्पकालीन निविदा

आमंत्रण सूचना संख्या – 08/2018-19

1.	विज्ञापन दाता का नाम एवं पता	–	परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, सरायकेला–खरसावाँ
2.	परिमाण विपत्र की बिक्री की तिथि	–	**दि0 12.02.2019 के 4.00 बजे अपराहन तक।**
3.	निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय	–	**दि0 13.02.2019 के 12.00 बजे अपराहन् तक।**
4.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	–	**दि0 13.02.2018 के 3.00 बजे अपराहन्**
5.	परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान	–	परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, सरायकेला–खरसावाँ।
6.	निविदा प्राप्ति एवं खुलने का स्थान	–	परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, सरायकेला–खरसावाँ।

7. कार्य की विवरणी :

क्रम सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की तिथि
1	शहीद ग्राम विकास योजना के अंतर्गत राजनगर प्रखण्ड के शहीद ग्राम–गोविन्दपुर में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	3907700.00	78200.00	5000.00	06 माह

8. निविदा के नियमों एवं शर्त्तों को बेवसाईट www.seraikella.nic.in पर एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

11/01/19

परियोजना निदेशक,
समेकित जनजाति विकास अभिकरण,
सरायकेला–खरसावाँ।

निविदा की शर्त्तें:—

1 परिमाण विपत्र में अंकित प्राक्कलित राशि के आधार पर अग्रधन की राशि मान्य होगी। किसी भी परिस्थिति में योजना प्राक्कलन का पुनरीक्षिण नहीं किया जाएगा।

2. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से लिया जायेगा जो परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, सरायकेला—खरसावाँ के पद नाम से निर्गत होगा एवं सरायकेला में भुगतेय होगा।

3. परिमाण विपत्र क्रय हेतु आवेदन के साथ सिर्फ झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत **भवन निर्माण कार्य विभाग** में समुचित श्रेणी का निबंधन प्रमाण पत्र, अद्यतन आचरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति देना अनिवार्य होगा अन्यथा परिमाण विपत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।

4. निविदा के साथ संवेदक को GST Clearance Certificate-(Form-GSTR-3B) की अद्यतन प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा संवेदक का निविदा मान्य नहीं होगा।

5. अग्रधन के रूप में राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवें निर्गम) या पांच वर्षीय सावधि जमा पासबुक अथवा अनुसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक गारंटी, फिक्स्ड डिपोजिट देय होगा, जो परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, सरायकेला—खरसावाँ के नाम से प्रतिज्ञित होगा।

6. संवेदक को निविदा के साथ अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र, आयकर प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण—पत्र, जी0एस0टी0 रिर्टन प्रमाण—पत्र एवं पैन कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7. विशेष परिस्थिति में अद्योहस्ताक्षरी को बिना कारण बतायें निविदा रद्ध करने अथवा स्थगित करने तथा निविदा की शर्त्तों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

8. कार्य स्थल पर संवेदक को साईनबोर्ड लगाना होगा जो कार्यालय द्वारा अनुमोदित होगा।

9. कार्य स्थल पर संवेदक को स्वयं बिजली—पानी की व्यवस्था करनी होगी।

10. कार्य आवंटित होने पर एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ कर देना होगा अन्यथा निविदा को रद्ध करते हुए द्वितीय न्यूनतम संवेदक को आवंटित कर दिया जायेगा।

11. संवेदक द्वारा समान प्रकृति के किसी एक कार्य में प्राक्कलित राशि का कम से कम 60% मूल्य के कार्य निष्पादन करने का अनुभव होना चाहिए। इसका प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

11. विशेष जानकारी के लिए अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। निविदादाता निविदा में भाग लेने के पूर्व ही कार्य एवं कार्य स्थल की जानकारी प्राप्त कर संतुष्ट हो लेंगे।

12. निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा लेकिन किसी प्रकार का अन्तर मूल्य का दावा मान्य नहीं होगा।

13. परिमाण विपत्र क्रय के समय एवं निविदा खोलने के समय वांछित कागजात की मूल प्रति भी साथ लावें। आवश्यकता पड़ने पर मूल प्रमाण पत्र भी दिखाना अनिवार्य होगा।

14. जिन संवेदक का आई0टी0डी0ए0 के अन्तर्गत कार्य चल रहा है तथा पूर्व में आवंटित कोई कार्य लंबित है अथवा उनका कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं है उन्हें कार्य आवंटन पर विचार नहीं किया जायेगा।

15. किसी भी संवेदक को कार्य आवंटन के उपरान्त सबलेट करना एकरारनामा के शर्त्तो का उल्लंघन होगा एवं समुचित सूचना प्राप्त होने पर एकरारनामा रद्ध करते हुए संवेदक को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जायेगी।

16. अनुसूचित दर से 10% अधिक निम्न दर निवेदित करने पर उनके निविदा पर विचार नहीं किया जाऐगा।

17. विभाग द्वारा अनुमोदित नक्शा, स्वीकृत प्राक्कलन, विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के अनुसार कार्य करना होगा।

18. आयकर, रॉयल्टी, सेवा एवं वस्तु कर (GST), लेबर सेस एवं अन्य करों की राशि विपत्र से नियमानुसार कटौती की जाएगी।

19. समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार राशि कटौति कर ली जाएगी। विशेष परिस्थिति में ही समय वृद्धि (Time Extention) मान्य होगा।

20. निविदादाता को योजना से संबंधित Work Program देना अनिवार्य होगा।

21. निविदा हेतु निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

22. निविदादाताओं को निविदा के साथ काली सूची में नहीं होने संबंधी शपथ—पत्र (मूल रूप में) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3/01/19

परियोजना निदेशक,
समेकित जनजाति विकास अभिकरण,
सरायकेला—खरसावाँ।